न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 87 / 2017

1 लिक्षमण पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।

अपीलांट

बनाम

1 धन्नाराम पुत्र स्व. भागाराम
2 नारायण सिंह पुत्र स्व. भागाराम
3 रामकुमार पुत्र स्व. भागाराम
4 प्यारेलाल पुत्र स्व. भागाराम
5 सांवरमल पुत्र स्व. भागाराम
6 महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. भागाराम
7 हनुमान पुत्र गुमाना
8 भगवाना पुत्र मुन्नाराम
9 अरविन्द पुत्र फुलसिंह
10 विजेन्द्र पुत्र फुलसिंह
11 श्रवणी पत्नी फुलसिंह
12 शीशराम पुत्र गोविन्दराम
13 रामकरण पुत्र गोविन्दराम
14 श्रवणी पत्नी गोविन्दराम
15 रामधन पुत्र हीरालाल
16 रामदेव पुत्र हीरालाल
समस्त जाति जाट निवासीगण खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

17 तहसीलदार, लैण्ड होल्डर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.05.2017 बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बमुकदमा उनवानी धन्नाराम वगैरह बनाम हनुमान वगैरह मु.नं. 01/2012, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री प्रकाश कुलहरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जिनेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.6.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 01/2012 में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना 251ए बाबत खेत खसरा नम्बर 257, 270, 271, 272, 282 में जाने के लिए खसरा नम्बर 267, 268 से होते हुए व 284 285 का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया राजीनामा धोखे व कपटपूर्वक रूप से पेश किया गया था क्योंकि अपीलांट 82 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है जिसे आंखों से दिखाई भी बहुत कम देता है, जिसके कारण व लिखा पढ़ी करने में असमर्थ है उसे कानों से भी कम सुनाई देता है। अपीलान्ट ने कानों में मशीन लगा रखी है। अपीलान्ट का पुत्र आमी में सर्विस करता है। दिनांक 26.05. 2017 का सरपंच ग्राम बसावा मनोज कुमार अपीलान्ट के घर आया तथा अपीलान्ट से कहा कि सभी अधिकारी आज आये हुए है चलो आज मैं तुम्हारी पेंशन के कागजात करवा देता हूं। अपीलान्ट को पेंशन के कागजात करवाने के बहाने धोखे से अपीलान्ट से राजीनामा करवा लिया, अपीलान्ट को राजीनामा बाबत कोई जानकारी नहीं थीं कि अपीलान्ट से मुकदमा नम्बर 01/2012 में राजीनामा करवाया जा रहा है। अपीलांट ने जवाब दावे में नक्शा पेश किया है जिसमें रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 अपने खेत खसरा नम्बर 282 में एक्स से वाई व वाई से सी कटान के रास्ते से पअने खते में आते–जाते है जो रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 के खेत खसरा नम्बर 282 में आता है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 खसरा 271 व 272 में से सड़क उदयपुरवाटी की तरफ जाती है, नक्शे में डी स्थान पर सीमेन्ट फैक्ट्री सड़क

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पर स्थित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 सड़क–सड़क आकर सीमेन्ट फैक्ट्री के पास से डी बिन्दू से होते हुए बी स्थान पर अपने खेत खसरा नम्बर 282 में आ सकते है, जो राजस्व रिकार्ड में कटाण का रास्ता है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 के खेत खसरा नम्बर 282 के दोनों तरफ से रास्ता लगता है। अपीलांट को दिनांक 26.05.2017 के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट के पुत्र द्वारा आर्मी से नवम्बर माह में छुटटी आने पर प्राप्त हुई। अपीलान्ट ने अपने पुत्र को कहा कि मेरे से सरपंच ने पैंशन के कागजात का नाम लेकर अंगुठा निशानी करवायी थी तो अपीलान्ट के पुत्र ने इस बाबत जानकारी की तो अपीलान्ट को पता लगा कि अपीलान्ट से धोखे से अंगुठा निशानी करवाकर गलत तरीके से राजीनामा तस्दीक करवा लिया है। अपीलान्ट को धोखे में रखकर राजीनामा से मुकदमें का निर्णय करवा लिया गया है। अपीलान्ट ने अपने पुत्र से उक्त फैसले की नकल मंगवाई तो अपीलान्ट को सम्पूर्ण जानकारी दिनांक 01.12.2017 को प्राप्त हुई, इससे पूर्व अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट जानकारी के रोज से अन्दर मियाद अपील पेश कर रहा है फिर भी यदि न्यायालय अपील को अन्दर मियाद नहीं मानता है तो प्रार्थी/अपीलान्ट अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है जिसका फायदा अपीलान्ट को देकर अपील अपीलांट को अन्दर मियाद समाहत किया जावें व अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत बसावा में पेश हुई। आवेदकगण व अनावेदकगण शिविर में उपस्थित हुये। वकील आवेदकगण व अनावदेकगण द्वारा उपस्थित होकर उपरोक्त रास्ते के संबंध में राजीनामा प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि ग्राम खोजास की भूमि खसरा नम्बर 282 रकबा 6.30 हैक्टेयर के खातेदारान धन्नाराम, नारायणसिंह, रामकुमार, प्यारेलाल, सांवरमल, महेन्द्रकुमार पिता भागाराम जाति जाट अपने खेत खसरा नम्बर 282 में आने जाने के लिये रास्ता भूमि खसरा नम्बर 284 रकबा 0.95

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

व खसरा नम्बर 285 रकबा 1.12 हैक्टेयर के खातेदारान लिछमण पुत्र सुरजा अरविन्द विजेन्द्रकुमार पुत्र फूलसिंह श्रवणी देवी पत्नी फूलसिंह शिशराम रामकरण पिता गोविन्द श्रवणी देवी पत्नी गोविन्दराम रामधन रामदेवा पिता हीरा जाति जाट ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 284 की उतरी सीमा व खसरा नम्बर 281 की उतरी व पूर्वी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 284 में 50 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा तथा खसरा नम्बर 285 में 4 मीटर चौड़ा व उतरी सीमा 80 मीटर व पूर्वी सीमा 124 मीटर कुल 204 मीटर लम्बाई का रास्ता दिया है। उपरोक्त रास्ता राजहक में देने हेतु सहमत है खसरा नम्बर 257 में जाने हेतु खसरा नम्बर 268 रकबा 0.13 हैक्टेयर जिसकी खातेदारी भगवाना पुत्र मुन्नाराम के नाम दर्ज है, रास्ता देने के लिए सहमत है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 290 सीमा ग्राम चैनगढ़ व खसरा नम्बर 268 सीमा ग्राम खोजास के तिमेड़ा खसरा नम्बर 268 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 32 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा रास्ता स्वेच्छा से राजहक में समर्पण हेतु सहमत है। राजीनामा प्रस्तुत कर वकील आवेदकगण व वकील अनावेदकगण तथा आवेदकगण व अनावेदकगण उपस्थित होकर राजीनामा पर हस्ताक्षर किये जाकर प्रस्तुत करने पर उपस्थित पक्षकारान को सुना गया तथा पक्षकारान द्वारा मुताबिक राजीनामा पक्षकारान द्वारा समर्पित रास्ते को राजहक में अमलदरामद किये जाने में सहमति जाहिर की गई। विचारण न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत बसावा में पेश हुई। आवेदकगण व अनावेदकगण शिविर में उपस्थित हुये। वकील आवेदकगण व अनावदेकगण द्वारा उपस्थित होकर उपरोक्त रास्ते के संबंध में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

राजीनामा प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि ग्राम खोजास की भूमि खसरा नम्बर 282 रकबा 6.30 हैक्टेयर के खातेदारान धन्नाराम, नारायणसिंह, रामकुमार, प्यारेलाल, सांवरमल, महेन्द्रकुमार पिता भागाराम जाति जाट अपने खेत खसरा नम्बर 282 में आने जाने के लिये रास्ता भूमि खसरा नम्बर 284 रकबा 0.95 व खसरा नम्बर 285 रकबा 1.12 हैक्टेयर के खातेदारान लिछमण पुत्र सुरजा अरविन्द विजेन्द्रकुमार पुत्र फूलसिंह श्रवणी देवी पत्नी फूलसिंह शिशराम रामकरण पिता गोविन्द श्रवणी देवी पत्नी गोविन्दराम रामधन रामदेवा पिता हीरा जाति जाट ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 284 की उतरी सीमा व खसरा नम्बर 281 की उतरी व पूर्वी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 284 में 50 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा तथा खसरा नम्बर 285 में 4 मीटर चौड़ा व उतरी सीमा 80 मीटर व पूर्वी सीमा 124 मीटर कुल 204 मीटर लम्बाई का रास्ता दिया है। उपरोक्त रास्ता राजहक में देने हेतु सहमत है खसरा नम्बर 257 में जाने हेतु खसरा नम्बर 268 रकबा 0.13 हैक्टेयर जिसकी खातेदारी भगवाना पुत्र मुन्नाराम के नाम दर्ज है, रास्ता देने के लिए सहमत है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 290 सीमा ग्राम चैनगढ़ व खसरा नम्बर 268 सीमा ग्राम खोजास के तिमेड़ा खसरा नम्बर 268 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 32 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा रास्ता स्वेच्छा से राजहक में समर्पण हेतु सहमत है। राजीनामा प्रस्तुत कर वकील आवेदकगण व वकील अनावेदकगण तथा आवेदकगण व अनावेदकगण उपस्थित होकर राजीनामा पर हस्ताक्षर किये जाकर प्रस्तुत करने पर उपस्थित पक्षकारान को सुना गया तथा पक्षकारान द्वारा मुताबिक राजीनामा पक्षकारान द्वारा समर्पित रास्ते को राजहक में अमलदरामद किये जाने में सहमति जाहिर की गई। विचारण न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर